कचरे को केंद्र में रखने का समय आ गया है

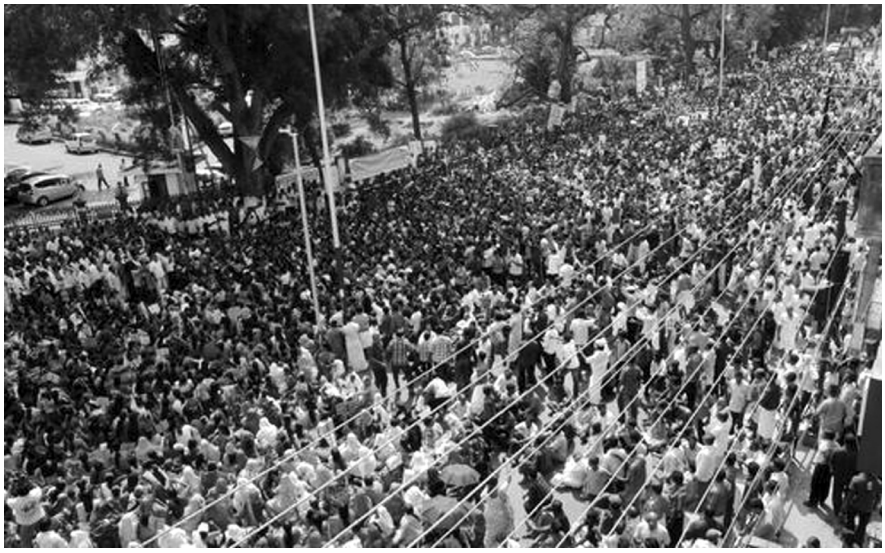

रणजीत अन्नेपु

साल 2012, भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था। उत्तर में स्थित जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण के किनारे पर स्थित तमिलनाडु तक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन अपशिष्ट पदार्थों का समुचित प्रबंधन न होने के विरोधस्वरूप किए गए थे। स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और पर्यावरणीय न्याय को लेकर किए गए सार्वजनिक प्रदर्शनों का ही परिणाम था कि सरकार को सुधार के कदम उठाने को विवश होना पड़ा। हालांकि अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की समस्या अब भी बरकरार है। अगर यह समस्या बनी रही तो आने वाले वक्त में गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। दीर्घावधि योजना बनाए बगैर और नीतियों में सुधार किए बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

समस्या की शुरुआत तब हुई जब तिरुवनंतपुरम का कचरा और अन्य अपशिष्ट पदार्थ पास के ही विलप्पिलसला गांव में ले जाना प्रारंभ हुआ। इससे गांव के लोगों में श्वास सम्बंधी बीमारियां दस गुना तक बढ़ गईं। पहले हर माह श्वास सम्बंधी बीमारियों के औसतन 450 मामले आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 5000 तक हो गई है। जो लोग गांव के तालाब में नियमित रूप से तैरते हैं, वे संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। घर-घर में मक्खियां भिनभिनाने लगी हैं। आज गांव में ऐसा एक भी घर नहीं है, जहां कोई न कोई श्वास की समस्या से ग्रस्त न हो। इसकी एक ही वजह है गांव में शुरू हुआ वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और पास ही स्थित डंप साइट।

अगस्त 2012 में गांव के प्रधान भूख हड़ताल पर बैठ गए और गांव वालों ने सड़कों को जाम कर दिया ताकि कचरा भरा कोई ट्रक गांव में प्रवेश न कर सके। इन ट्रकों के साथ करीब 500 पुलिसकर्मियों को भेजा गया था, लेकिन कचरा स्थल को ज़बर्दस्ती खुलवाया नहीं जा सका। जब विलप्पिलसला गांव के लोगों के विरोध के चलते कचरा स्थल बंद हो गया तो इसका नतीजा तिरुवनंतपुरम शहर में देखने को मिला। शहर के लोग घरों से निकलने वाले कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर रात को झाड़ियों में, गलियों में या फिर जल स्रोतों में फेंकने लगे। कई महीनों तक उन्हें सुबह-सुबह कचरे के जलते ढेरों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही नज़ारा बैंगलुरु में भी देखने को मिला। वहां भी महीनों कचरा सड़कों पर सड़ता रहा। इसलिए जल्दी ही गांव वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर कचरा भराव स्थल खोल देने पड़े, क्योंकि ये शहर अपने लिए नई जगह नहीं खोज पाए।

कचरे का समुचित प्रबंधन नहीं होने से लोगों के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है, पर्यावरण सम्बंधी अनेक समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, हवा, पानी एवं मिट्टी का प्रदूषण, बदबू आदि भी पैदा हो जाती हैं। साथ ही मक्खियों, मच्छरों,

चूहों जैसे जंतुओं की भी फौज खड़ी हो जाती है। सड़कों और कचरा स्थलों पर फेंका गया घरों का कचरा आवारा कुत्तों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत होता है। आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रैबिज़ रोग के कारण भारत में हर साल 20 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। अकेले श्रीनगर में ही पिछले साढ़े तीन साल में आवारा कुत्तों के काटने के 54 हज़ार मामले सामने आए थे।

कोलकाता में हाल ही में डेंगू के 550 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 60 लोगों की मौत भी हो गई थी। भारत में पिछले पांच सालों के दौरान डेंगू के मामलों में 600 फीसदी और मुंबई में मलेरिया के मामलों में 71 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। मच्छरों से सम्बंधित बीमारियों की मुख्य वजह है कभी भी नष्ट न होने वाला कचरा (नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा), जिसके कारण बारिश का पानी रुक जाता है और नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। इसी वजह से मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है।

हमारे यहां वायु प्रदूषण का बड़ा कारण कचरा स्थलों पर कचरे को खुले में जलाना भी है। मुंबई के वायु प्रदूषण (कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन) में 20 फीसदी हिस्सा इसी का है। वहां कचरे को जलाने से हर साल कैंसरजनक डायोक्सिन-फ्यूरॉन्स का जितना उत्सर्जन होता है वह 10 हज़ार ग्राम विष के तुल्य है। इसकी तुलना अगर फ्रांस से करें तो पता चलता है कि यह उत्सर्जन कितना ज़्यादा है। फ्रांस के सभी 127 कचरे-से-ऊर्जा संयंत्रों में हर साल 1.60 करोड़ टन कचरा जलाया जाता है, जिनसे केवल 4 ग्राम विष-तुल्य पदार्थों का उत्सर्जन होता है।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2000 में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) नियम जारी किए थे। लेकिन आज बारह साल बाद एक भी शहर इनका पालन नहीं कर रहा है। कचरे को खुले में फेंकना, उसे खुले में जलाना और मानव व मवेशियों का अपशिष्ट पदार्थों से सीधा सामना होना भारत के तमाम शहरों में सामान्य बात है।

अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का कोई तत्काल समाधान मुहैया करवाना स्थानीय निकायों के बस में नहीं है, हालांकि इसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। लगातार बढ़ती आबादी के कारण जिस तरह से जगह की कमी होती जा रही है, उसके कारण शहरों के आसपास कचरा फेंकने के नए-नए स्थल मिलना असंभव हो गया है।

भारत में कम से कम 71 ऐसे शहर हैं, जो तिरुवनंतपुरम से ज़्यादा कचरा पैदा करते हैं। इन शहरों में एक तरफ जहां अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के संसाधन सीमित हैं तो वहीं कचरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आम नागरिक के स्वास्थ्य पर हमेशा खतरे की तलवार लटकी रहेगी, जीवन की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आएगी और पर्यावरणीय संसाधन प्रदूषित होते जाएंगे। ऐसे में अगर सरकार लोगों में दीर्घावधि सुधार के सम्बंध में जागरुकता नहीं बढ़ा पाई तो अपशिष्ट पदार्थ के संकट को कोई नहीं रोक सकता।

वर्ष 2005 में भारत सरकार ने अपशिष्ट पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत स्थानीय निकायों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के लिए 2500 करोड़ रुपए मंज़ूर किए थे। वर्ष 2013 के बजट

वर्ग पहेली 105 का हल

र	द	र	फो	र्ड		ब		प
	ल		टॉ		वि	टे	क	र
	ह		न	भ	च	र		प
ख	न	न			ल		पा	रा
र			हि	र	न			ग
प	ल		मा			त्रि	को	ण
त		क	ल	क	ल		चा	
वा	य	वी	य		गा		बां	
र		ट		स	म	द्वि	बा	हु

भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार उन नगर निकायों को मदद देगी जो कचरे से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। हालांकि जेएनएनयूआरएम ने उद्योगों और नगर निकायों को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन यह समस्या जितनी व्यापक है, उसके मद्देनज़र जेएनएनयूआरएम के प्रयास पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय राशि की व्यवस्था तो की गई, लेकिन इस सम्बंध में लोगों को पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं दिया गया। और इससे भी महत्त्वपूर्ण बात, नगर निकायों के कई अधिकारियों ने कचरा प्रबंधन के लिए नई पहल की, लेकिन फिर उनके तबादलों के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाईं।

कई शहरों में कचरा बीनने वाली सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। ये अच्छे स्वस्थ वातावरण में कचरे को रिसाइकल कर रही हैं। इनका और भी विस्तार करने की असीम संभावनाएं हैं, जिस पर काम किया जाना चाहिए।

तिरुवनंतपुरम ने उन संस्थाओं पर जुर्माना लगाना शुरू किया है जो खुले में कचरा फेंकती हैं। उसने विकेंद्रीकृत अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के विकल्प अपनाने वालों के लिए सब्सिडी भी बढ़ा दी है। बैंगलुरु ने अलग-अलग तरह के कचरे को अलग-अलग डस्टबिनों में फेंकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की पहल की है। इनके अच्छे नतीजे सालों के प्रयासों के बाद ही नज़र आएंगे। कोलकाता में डेंगू बीमारी के प्रकोप के बाद कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद घर-घर गईं। कई शहर पतले पॉलीथीन बैग्स पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।

अपशिष्ट पदार्थों के समुचित प्रबंधन के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में समय लगता है। ऐसे में कचरे के गलत प्रबंधन के कारण लोगों को हो रही दिक्कतों से राहत दिलाने के लिए नगर निकायों को फौरी तौर पर ये उपाय करने चाहिए : कचरा भराव स्थलों में कचरे को खुले में कम से कम जलाया जाए, बदबू व प्रदूषण को कम किया जाए और लघु स्तरीय रिसाइक्लिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर कचरे की डंपिंग को कम किया जाए।

हमारे देश में अपशिष्ट पदार्थों के समुचित प्रबंधन के लिए आदर्श व्यवस्था क्या हो, इस पर चर्चा करने के साथ ही हमें पहले उन लक्ष्यों का परीक्षण करना चाहिए, जिन्हें व्यावहारिक तौर पर हासिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों को अन्य लोगों के साथ मिलकर कचरा निकलने के मुख्य स्रोत से ही कचरे के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिए, रिसाइक्लिंग की उच्च दर हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और आर्गेनिक वेस्ट से खाद बनानी चाहिए। यह तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन चुनौती उस कचरे के प्रबंधन की है जिसे रिसाइकल करना संभव नहीं है। इसके लिए समुचित प्रावधान करने की ज़रूरत है। आज जबकि आम भारतीयों का स्वास्थ, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण दांव पर है तो ऐसे में हमें विचारधारा की बहसों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

अपशिष्ट पदार्थों के आसन्न संकट के समाधान में समग्र दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। समग्र समाधानों को खोजते समय इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि विभिन्न तकनीकों और पद्धतियों के क्रियान्वयन में समय कितना लगेगा। साथ ही यह देखना भी ज़रूरी है कि उनका क्रियान्वयन किस हद तक संभव है। समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर योजना बनाते समय फोकस इस बात पर भी होना चाहिए कि कचरे की तात्कालिक समस्या का समाधान क्या हो, कैसे हो। ***(स्रोत फीचर्स)***

स्रोत के ग्राहक बनें, बनाएं

सदस्यता शुल्क एकलव्य, भोपाल के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से भेजें।

पता - ***ई-10,शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462 016***

वार्षिक सदस्यता
व्यक्तिगत 150 रुपए
संस्थागत 300 रुपए